

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

संख्या डी0 एल0 ए0 नालंदा

- 2306/रा० पटना, दिनांक 17-09-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-पंडितपुर परगना-राजगीर, थाना नं०-478 थाना-बेहारा जिला-नालंदा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राजगीर-बाईपास पथ निर्माण के लिए सरकारी सार्वजनिक भूमि अर्जन द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-पंडितपुर थाना नं०-478 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप पर क्षेत्रफल 1.0925 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०- 01, 02, 03, 04, 05, एवं 06 सभी अंश।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर - खेसरा सं०-01 एवं मौजा-नाहुव

पूर्व - मौजा-नाहुव

दक्षिण - खेसरा सं०-02, 03, 04, 05 एवं 06 सभी अंश

पश्चिम :- भीमाना मौजा-नोनही थाना नं०-478

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 दिनांक 1961, संशोधित अधिनियम-1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्धित भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा अन्य प्रयोजन से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे..... के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-(2) में यथा उपबन्धित या बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालंदा
अपर समाहर्ता, नालंदा
समाहर्ता, नालंदा
सरकार के उप सचिव

पत्रांक 2306/रा० डी0 एल0 ए0- नालंदा, दिनांक 17-09-13/

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालंदा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण प्रकाशित एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :- समाहर्ता, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
24/9/13